महत्वपूर्ण

संख्या– 465 / XXIV(1) / 2005–15 / 2004

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 25 जुलाई,2005

विषय:– शिक्षा मित्रों के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या–17 / बे.शि. / 04 दिनांक 16.1.2004 तथा शासनादेश संख्या–230 / XXIV(1) / 2005– 15 / 2004 दिनांक 19.4.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कई बार शिक्षा मित्र शैक्षिक सत्र के मध्य में कार्य छोड़कर चले जाते है जिस कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अत: उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा मित्रों के चयन के समय ही कम से कम दो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची रख ली जाय, जिससे चयनित शिक्षा मित्रों के अपरिहार्य कारणवश सत्र के मध्य में कार्यभार छोड़कर जाने पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में नियुक्ति दी जा सके। साथ ही, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के समय उनसे अनुबन्ध पत्र भराया जाए कि वह सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र में विद्यालय में योगदान देगे।

2– कृपया उक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद्, मयूर विहार देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।